

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

पंजीयन प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION



प्रमाणित किया जाता है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत इस समाचारपत्र को पंजीकृत कर लिया है :

This is to certify that this newspaper has been registered under the Press and Registration of Books Act, 1867 :

- | | |
|--|---|
| 1. समाचार पत्र का नाम Title of the Newspaper | वालंद विकास VALAND VIKAS |
| 2. समाचार पत्र की पंजीयन संख्या Registration Number of the Newspaper | 9377 /65 |
| 3. भाषा/भाषाएं, जिसमें/जिनमें समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है Language/Languages in which it is published | गुजराती GUJARATI |
| 4. इसके प्रकाशन का नियतकाल तथा जिस दिन/दिनों/तिथियों को यह प्रकाशित होता है Periodicity of its publication and the day/days/ dates on which it is published | मासिक MONTHLY |
| 5. समाचारपत्र की फुटकर कीमत Retail selling price of the newspaper | RS. 5/- |
| 6. प्रकाशक का नाम/Publisher's Name राष्ट्रीयता/Nationality पता/Address | HARIBHAI KHEMABHAI BHATIA भारतीय INDIAN VALAND VIKAS, GULBAI TEKAARA, OPP. PANKAJ VIDYALAYA, AHMEDABAD-380006 (GUJ.) |
| 7. मुद्रक का नाम/Printer's Name राष्ट्रीयता/Nationality पता/Address | HARIBHAI KHEMABHAI BHATIA भारतीय INDIAN VALAND VIKAS, GULBAI TEKAARA, OPP. PANKAJ VIDYALAYA, AHMEDABAD-380006 (GUJ.) |
| 8. सम्पादक का नाम/Editor's Name राष्ट्रीयता/Nationality पता/Address | RAMANBHAI SHANABHAI PAREKH भारतीय INDIAN VALAND VIKAS, GULBAI TEKAARA, OPP. PANKAJ VIDYALAYA, AHMEDABAD-380006 (GUJ.) |
| 9. जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है, उसका सही तथा ठीक विवरण True and precise account at the premises where printing is conducted | SADHANA MUDRANALAYA TRUST 55/14, CITY MILL COMPOUND, KANKARIA ROAD, AHMEDABAD (GUJ.) |
| 10. प्रकाशन का स्थान Place of publication | VALAND VIKAS, GULBAI TEKAARA, OPP. PANKAJ VIDYALAYA, AHMEDABAD-380006 (GUJ.) |

दिनांक /Date:

10 DEC 2019

Cert Ser No. 6759

डा. पी. के. बन्दोपाध्याय Dr. P.K. BANDOPADHYAY

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक
REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

सेवा में To, [Title:VALAND VIKAS]

दिनांक Date:13/12/2007

प्रकाशक The Publisher,
HARIBHAI KHEMABHAI BHATIA
VALAND VIKAS, GULBAI TEKAARA, OPP. PANKA-
J VIDYALAYA, AHMEDABAD-380006 (GUJ.)

महोदय Sir,

1. प्रेस तथा समाचारपत्रों के पंजीयन (केन्द्रीय) नियम 1956 के नियम 10 के साथ पढे जाने वाले प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में खंड 19 के उपबंधों के अनुसार वालंद विकास के संबंध में पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न हैं।
Please find enclosed the Certificate of Registration/Revised Certificate in respect of the title **VALAND VIKAS** in accordance with the provisions of the Section 19 of the Press and Registration Book Act read with rule 10 of the Press and Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.
2. जारी की गई पंजीयन संख्या तब तक वैध है जब तक समाचारपत्र का वैध-घोषणापत्र के अंतर्गत नियमित प्रकाशन होता रहेगा।
The Registration Number allotted shall remain valid as long as the Newspaper continues to be published regularly under valid declaration.
3. जब कभी भी उक्त उल्लिखित अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत वर्तमान घोषणापत्र में दिए गए ब्यौरे में कोई भी परिवर्तन किया जाए, कृपया तब यह प्रमाणपत्र इस कार्यालय को आवश्यक संशोधन करने हेतु वापिस कर दिया जाए। यदि एक संख्या आवंटित कर दी जाती है, तब यह निलंबित अथवा रद्द नहीं होती भले ही प्रमाणपत्र इस कार्यालय के संरक्षण में हो अथवा मार्गस्थ हो। कानून के अंतर्गत पंजीयन संख्या को किसी भी प्रकार से उपयोग करने के लिए आप मुक्त होंगे।
Whenever, there is any change in the particulars mentioned in the enclosing declaration under the relevant provision of the Act aforesaid, this certificate may please be returned to this office for carrying out the necessary correction, if the number is once allotted, it will not become suspended or cancelled while the certificate is in the custody of this office or is in transit. You will be free to utilize the Registration Number in any manner as many be required under law.
4. भविष्य में अपने समाचारपत्र के संबंध में किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए संलग्न प्रमाणपत्र के अनुसार आवंटित पंजीयन संख्या (पं.सं 9377) तथा संदर्भ के लिए भी इस पत्र की संख्या का उल्लेख करें। कृपया इस संप्रेषण की वापसी भेजे।
In all future communication pertaining to your Newspapers, the Registration Number (RNI No.9377) allotted as per certificate attached and also the number of this letter should be quoted for reference. Receipt of this communication may please be acknowledged.
5. आपके द्वारा अपने समाचारपत्र के मुद्रण, प्रकाशन और विवरण से संबंधित आंकड़ों और दस्तावेजों का हिसाब रखना अनिवार्य है ताकि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 19 (अभिलेखों) के अंतर्गत प्रेस पंजीयक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी के निरीक्षण के समय उन्हें प्रस्तुत किया जा सके।
You are required to maintain accounts, records, documents relating to the printing, publication and distribution of your newspapers for submission at time of inspection by the Press Registrar or any Gazetted Officer authorized by him/her under Section 10F of the Press and Registration of Books Act.
6. प्रकाशन बंद होने की स्थिति में मालिक द्वारा एक समापन घोषणापत्र संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिला किया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट प्रमाणिकरण करने के उपरान्त घोषणापत्र की एक प्रति इस कार्यालय को समुचित कार्रवाई हेतु भेज देंगे।
In the event of closing down the publication a ceasing declaration should be filed by the owner before the concerned District Magistrate, who after authentication will forward a copy of the same to this office for appropriate action.
7. प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम एवं समाचारपत्रों के पंजीकरण के नियम (केन्द्रीय) की धारा 19 (घ) के अनुसार आप द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अपने समाचारपत्र की वार्षिक विवरणी भेजना अपेक्षित है।
You have to submit the Annual Statement as required under Section 19-D of the Press and Registration of Book Act and Registration Newspapers (Central) Rules, by 31st May every year.

अनुदीय Yours faithfully,